आदेश

जनपद बागेश्वर के अन्तर्गत हरिनगरी पंय्या मोटर मार्ग निर्माण का दाबू–हड़ाप तक विस्तार हेतु 06.060है0वन भूमि को लोक निर्माण विभाग बागेश्वर को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,भारत सरकार,क्षेत्रीय कार्यालय उत्तराखण्ड,देहरादून के पत्र संख्याः 08बी / यू0सी0पी0 / 06 / 283 / 2015 / एफ0सी0 / 2229 दिनांक 19.02.2019 से निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृत के कम में उपजिलाधिकारी,बागेश्वर की आख्या दिनांक 21 नवम्बर, 2024 से जनपद बागेश्वर के अन्तर्गत हरिनगरी पंय्या मोटर मार्ग निर्माण का दाबू–हड़ाप तक विस्तार / निर्माण में प्रयुक्त 06.060है0 वन भूमि की दुगुनी 12.120है0 भूमि, जो ग्राम बगडुंगरा,तहसील बागेश्वर के गैर ज0 वि0 ख0 खा0संख्या–10 श्रेणी 9(3) ख में दर्ज खसरा संख्या–554 रकवा 0.903है0, 555 रकवा 0.915है0, 1203 रकवा 0.444है0, 1227 रकवा 0.313है0, 1228 रकवा 0.110है0, 1229 रकवा 0.593है0 तथा इसी प्रकार गैर0ज0वि0श्रेणी 10(4)बंजर नाकाबिल आबाद के खाता संख्या–26 में दर्ज खेत संख्या–4 रकवा 0.339है0, खेत संख्या–162 रकवा 0.010है0, खेत संख्या–330 रकवा 01.640है0, 374 रकवा 0.294है0, 378 रकवा 0.375है0, 557 रकवा 0.370है0, 558 रकवा 0.750है0, 559 रकवा 0.705है0, 572 रकवा 0.185है0, 1185 रकवा 0.868है0, 1190 रकवा 0.688है0, 1191 रकवा 0.565है0, 1192 रकवा 0.779है0, 1193 रकवा 0.750है0, 1194 मध्ये रकवा 0.524है0 मध्ये कुल 12.120है0 भूमि का प्रस्ताव क्षतिपूरक वृक्षारोपण के प्रयोजन हेतु उपलब्ध कराया गया है।

अतः शासनादेश संख्याः 2173 / XVIII(II) / 2012–18(120) / 2010 दिनांक 17 दिसम्बर, 2012 तथा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,भारत सरकार,क्षेत्रीय कार्यालय उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्र दिनांक 19.02.2019 में निहित शर्तों के अधीन उक्तानुसार चिन्हित / प्रस्तावित कुल भूमि 12.120 है0 को क्षतिपूरक वृक्षारोपण के प्रयोजन हेतु वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरित / नामान्तरित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

जिलाधिकारी,
बागेश्वर।

कार्यालय जिलाधिकारी,बागेश्वर।

संख्याः 61 / छब्बीस–33वन(12–13) / 2024–25 दिनांक 02/01/2025

प्रतिलिपि निम्नांकित को उपरोक्तानुसार सूचनार्थ एंव अनुपालनार्थ प्रेषित :–

01. प्रभागीय वनाधिकारी,बागेश्वर वन प्रभाग,बागेश्वर।
02. उपजिलाधिकारी,बागेश्वर।
03. अधिशासी अभियन्ता,प्रान्तीय खण्ड,लोक निर्माण विभाग,बागेश्वर।
04. तहसीलदार,बागेश्वर को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त वर्णित भूमि का नामान्तरण वन विभाग के पक्ष में करते हुए संबंधित भूमि की खतौनी की एक–एक प्रति मय प्रमाण–पत्र सहित वन विभाग एवं याचक विभाग को उपलब्ध करवाते हुए अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को भी उपलब्ध करावें।

जिलाधिकारी,
बागेश्वर।

Scanned with OKEN Scanner